(1)

FORM No. III

फार्म अहकाम(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0

प्रार्थना पत्र/173/2023 दायर दिनांक 11/09/2023

प्रकरण धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उनवान

नारायणसिंह पिता कनीराम सौ0 राजपूत नि0 हरनावदागजा तहसील पिड़ावा

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
11/9/23	प्रार्थी नारायणसिंह पिता कनीराम सौ0 राजपूत नि0 हरनावदागजा तहसील पिड़ावा द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर ग्राम हरनावदागजा तहसील पिड़ावा की आराजी ख0न0 1253 रकबा 1.9223हैक्टेयर भूमि का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो रहा हैं, जिसे दुरूस्त करने बाबत निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर निवेदन किया। प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण मे रिपोर्ट तहसीलदार पिड़ावा ली गई। तहसीलदार पिड़ावा की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम हरनावदागजा तहसील पिड़ावा की आराजी ख0न0 1253 रकबा 1.9223 हैक्टेयर भूमि मे वर्तमान में खातेदार कालीबाई, गंगाराम, गीताबाई, नाथूसिंह, नानूराम, नारायणसिंह, बालूसिंह, भगवानसिंह, भवानीसिंह, सहायताबाई एवं सोहनबाई के नाम अलग अलग नामान्तरण से खातेदारी दर्ज हैं। सभी खातेदारान का हिस्सा जमाबन्दी मे दर्ज हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया कि ग्राम हरनावदागजा तहसील पिड़ावा की आराजी ख0न0 1253 रकबा 1.9223 हैक्टेयर भूमि अलग अलग नामान्तरण से खातेदारी दर्ज हैं। सभी खातेदारान का हिस्सा जमाबन्दी मे दर्ज हैं। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज से सभी खातेदारान की हिस्सा शुद्वि हेतु सहमति नही हैं चुकिं प्रकरण एक से अधिक खातेदारान से सम्बधित है, जिनको प्रकरण मे पक्षकार नही बनाया गया। प्रार्थी प्रभावित खातेदारान को आवश्यक पक्षकार बनाकर सक्षम न्यायालय मे नियमानुसार वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता हैं। प्रभावित खातेदारान की सुनवायी किये बिना जमाबन्दी मे हिस्सा संशोधित किया जाना न्यायहित मे नही हैं। प्रार्थी द्वारा इस प्रकार बिना सहखातेदारी [illegible] बनाये चाही गई जमाबन्दी मे हिस्सा शुद्धि किया जाना [illegible] अतः प्रकरण [illegible] प्रार्थी न्यायालय में नियमित वाद पेश कर आवश्यक पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र दायर करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे। उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.10.20 14:33:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner